संख्या-16/2017/1040/84-1-16-8 बामा/2015

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉकः 19 अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत शेष सात माहों/ शेष अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-218/स्था0 एस0/बत्तीस-2017, दिनांक 16.08.2017 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के मुख्यालय में वर्ष 1988 के पूर्व सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय हेतु वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 63,69,000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-10/2017/930/84-1-17-8 बामा/2015, दिनांक 07.04.2017 के द्वारा माह अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक के व्यय हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि कुल रू0 26,54,000/-(रूपये छब्बीस लाख चौवन हजार मात्र) के अनुक्रम में माह सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक (शेष सात माहों) के लिए व्यय हेतु उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0 37,15,000/- (रूपये सैतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा, ताकि राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।

(4) आय-व्ययक में प्राविधानित राशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनॉक 06-06-94 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिशासी निदेशक/वित्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये अधिशासी निदेशक/वित्त अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(6) किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में शासनादेश संख्या-बी--2826/दस-1994-100(03)/88, दिनॉक 06-06-1994 तथा तत्सम्बन्धी अनुवर्ती शासनादेशों द्वारा लगाये गये प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा तदनुरूप ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(7) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(8) जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाय।

(9) उक्त अनुदान से संबंधित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर खाद्य एवं रसद सचिव शाखा उत्तर प्रदेश शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) बी0एम0-18 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियमित रूप से वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कैलेण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-बी-1-3318/दस-22/98, दिनॉक 28-07-1998 में किया गया है।

(11) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

(13) यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>सख्या-16/2016/1040(1)/84-1-16-तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- आयुक्त खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप डेस्क इकाई/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।